



न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-42/2020-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

मुकेश पाहन
कोपेया संगी

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
16.12.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक मुकेश पाहन पिता स्व० बोकला पाहन ग्राम-कर्ना रोड, नावाटोली, खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने कोपेया संगी पिता स्व० जोटो संगी ग्राम-डुमरदगा, पो०-जलटंडा, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="295 739 1428 862"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>खूँटी</td> <td>83</td> <td>05</td> <td>152</td> <td>0.03½</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 1476362315 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1015 दिनांक 07.12.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियान है। खतियानी रैयत का नाम अर्जुन पाहन हैं। पंजी II के अनुसार मंगरा पाहन वगैराह के नाम भूमि का 9.67½ एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 1.20½ एकड़ भूमि के आलावे अन्य खाता सं० 6 रकबा 1.40 एकड़ कुल रकबा 2.60½ एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 72473.00(बहत्तर हजार चार सौ तिहत्तर)रु० प्रति डिसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.57 एकड़ रह जाती है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मुकेश पाहन पिता स्व० बोकला पाहन को कोपेया संगी पिता स्व० जोटो संगी के साथ ग्राम खूँटी के खाता सं० 05 खेसरा संख्या 152 कुल रकबा 0.03½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 72473.00(बहत्तर हजार चार सौ तिहत्तर)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p>इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;"> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	खूँटी	83	05	152	0.03½	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)								
खूँटी	83	05	152	0.03½								